अवैध शराब की बिक्री व निर्माण रोकने के लिए चलाया अभियान

75 लीटर कच्ची व 20 शीशी नेपाली शराब के साथ 6 बंदी

कार्रवाई

श्रावस्ती | संवाददाता

पुलिस की ओर से जिले भर में अवैध शराब की बिक्री व कच्ची शराब के निर्माण को रोकने के लिए अभियान चलाया गया। अभियान के तहत सोमवार को 75 लीटर कच्ची शराब व 20 शीशी नेपाली शराब के साथ छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।

पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य के निर्देश पर अपमिश्रित शराब बिक्री, अवैध शराब बनाने वाले, अवैध शराब की भट्ठियों को चलाने वाले, अवैध शराब की तस्करी करने वालों के विरुद्ध रविवार को विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बीसी दूबे, क्षेत्राधिकारी भिनगा हौसिला प्रसाद व क्षेत्राधिकारी इकौना महेंद्र पाल शर्मा के नेतृत्व में टीम गठित कर कई स्थानो पर छापेमारी की गयी।

थाना सिरसिया पुलिस व आबकारी की संयुक्त टीम ने कई स्थानों पर दबिश देकर छापेमारी की। छापेमारी में पुत्ती लाल पुत्र माता प्रसाद निवासी कतकहीपुरवा के कब्जे से 20 लीटर नाजायज कच्ची शराब बरामद किया गया। मल्हीपुर थाने की पुलिस व आबकारी की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर सोनू यादव पुत्र रामप्यारे यादव निवासी कलकलवा को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 20 शीशी नाजायज नेपाली शराब बरामद की गई। थाना इकौना की पुलिस व आबकारी टीम ने आरोपी जगदीश पुत्र दीपक निवासी किढियौना को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 26 क्वाटर देशी शराब (कुल-पांच लीटर) बरामद हुई। गिलौला थाने की पुलिस व आबकारी टीम कई स्थानों पर दबिश देकर छापेमारी की। पकड़े गए आरोपी पहलवान पुत्र सन्ते निवासी अख्तरनगर के पास से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई। कोतवाली भिनगा पुलिस व आबकारी टीम विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की। छापेमारी में राकेश पुत्र खेलावन निवासी गलकटवा, कैलाश नाथ पुत्र रंगे निवासी उल्लहवा के पास से क्रमशः 10-30 (कुल-40) लीटर नाजायज कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज कर जेल रवाना किया गया।